

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल

शिकायत क्र० सी-26/रासूआ/44-7/सतना/2005

श्री भईयालाल त्रिपाठी,
मुरवां, पोस्ट चंदई,
जिला सतना (म०प्र०)

शिकायतकर्ता

विरुद्ध

लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला शिक्षा अधिकारी
सतना (म०प्र०)

आदेश

(दिनांक 12 अप्रैल 2006)

श्री भईयालाल त्रिपाठी ने एक शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की है कि उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत कर्मचारियों की भविष्य निधि जो निकाली गई है, उसकी जानकारी मांगने के लिये एक आवेदन दिनांक 24.11.05 को दिया था और साथ में 10/- रुपये भी दिये थे । उन्हें दिनांक 24.11.05 को फार्म की पावती दी गई लेकिन रू० 10/- की पावती की रसीद नहीं दी गई । उन्होंने मांगे गए रिकार्ड और रू० 10/- की रसीद दिलाने के लिए यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ।

2. इस शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी सतना से जानकारी प्राप्त की गई । उनका यह कहना है कि शिकायतकर्ता ने जी०पी०एफ० आहरण संबंधी जानकारी चाही थी लेकिन फार्म के साथ रू० 10/- की नकद राशि या स्टाम्प जमा नहीं किया था, इसलिए उन्हें दिनांक 28 जनवरी 06 को पत्र देकर सूचित किया गया था कि वे कार्यालय में उपस्थित होकर, रू० 10/- नकद जमा करके अथवा रू० 10/- का स्टाम्प पेपर जमा करे ताकि जानकारी उपलब्ध कराई जा सके, लेकिन उन्होंने न तो रू० 10/- नकद जमा किए और न ही रू० 10/- का स्टाम्प पेपर जमा किया ।

3. इस शिकायत के संबंध में दिनांक 10 अप्रैल 2006 को भोपाल में सुनवाई की गई । जिला शिक्षा अधिकारी सतना एवं शिकायतकर्ता श्री भईयालाल त्रिपाठी उपस्थित हुए । शिकायतकर्ता का यह कहना है कि उन्होंने हाल ही में रू० 10/- की रसीद उपलब्ध कराई गई है । यद्यपि उन्होंने यह राशि बहुत पहले ही जमा कर दी थी । इसके विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि शिकायतकर्ता को यह राशि जमा

करने के लिए दिनांक 28.1.06 को पत्र लिखा गया था और इसके बाद भी राशि जमा नहीं कराई, अब जमा कराई गई है । शिकायतकर्ता से पूछा गया कि उन्होंने जो आरोप लगाया है उसके संबंध में उनके पास कोई प्रमाण है । उनका यह कहना है कि आवेदन देने के लिए जो अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित फार्म को प्राप्त करने के लिये पहले रू0 10/- जमा कराये जाते हैं, तब वह प्राप्त होता है । उन्होंने फार्म को प्राप्त करने के लिए 10/- रुपये की राशि जमा की थी लेकिन उन्हें रसीद नहीं दी गयी। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है, वह सही है ।

4. अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन देने के लिये जो प्रारूप निर्धारित किया गया है उसके संबंध में राज्य शासन के कोई नियम नहीं है कि आवेदन के निर्धारित प्रारूप को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को शासकीय कार्यालय में रू0 10/- जमा करने होंगे । यह प्रारूप कहीं भी उपलब्ध हो सकता है, केवल यह अनिवार्य है कि आवेदन के साथ निर्धारित फीस जमा की जानी चाहिये, जिसके लिए उसे रसीद मिलेगी अथवा फीस की राशि नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर खरीदकर भी भुगतान की जा सकती है । इसलिए इस आधार पर कि शिकायतकर्ता को आवेदन का प्रारूप जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से उपलब्ध कराया गया था, यह मानना कि शिकायतकर्ता ने दस रुपये की राशि बिना रसीद प्राप्त किये दी थी, सही प्रतीत नहीं होता ।

5. अतः इस शिकायत पर कोई तथ्य नहीं है, यह शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त

12 अप्रैल 2006